प्रेस नोट
दिनांक 19.09.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद ईट व मृतक का टूटा हुआ 01 अदद मोबाइल फोन बरामद–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं०–241/24, धारा 103(1),328 बीएनएस व 3(2)5 एस०सी०एस०टी० एक्ट से संबंधित 03 आरोपी अभियुक्तों– 01. लल्लन प्रसाद पुत्र जगदीश मौर्या, 02. विमला देवी पत्नी लल्लन प्रसाद, 03. संजू मौर्या पुत्री लल्लन प्रसाद को ग्राम सोखाजोत तेजपुर थाना छपिया से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से आलाकत्ल पक्की ईट व 01 अदद मृतक का टूटा मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.09.2024 को समय करीब 23:00 बजे ग्राम भोपतपुर थाना छपिया निवासी रामबहोर पुत्र स्व० बदली कन्नौजिया द्वारा थाना छपिया में सूचना दी गयी कि उनके लड़के संदीप कुमार कन्नौजिया की हत्या कर लाश गांव के गन्ने के खेत में फेंक दी गयी है। सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच की गयी तथा डॉग स्क्वायड/फील्ड यूनिट को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया। मृतक के पिता रामबहोर पुत्र स्व० बदली निवासी ग्राम भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर पर थाना छपिया में नामजद आरोपियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 19.09.2024 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी– 01. लल्लन प्रसाद पुत्र जगदीश मौर्या, 02. विमला देवी पत्नी लल्लन प्रसाद, 03. संजू मौर्या पुत्री लल्लन प्रसाद निवासीगण सोखाजोत तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को ग्राम सोखाजोत तेजपुर से गिरफ्तार कर आलाकत्ल 01 अदद पक्की ईट व मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि संदीप कुमार (मृतक) व संजू मौर्या के मध्य प्रेम प्रसंग था और मृतक कुछ दिनों से संजू को ब्लैक मेल करने लगा था। यह बात संजू ने अपने माता–पिता को बतायी और तीनों ने मिलकर संदीप को ठिकाने लगाने की योजना बनायी। दिनांक 14/15.09. 2024 की रात्रि संदीप ने संजू मौर्या को फोन कर मिलने हेतु उसको घर से बाहर बुलाया। संजू संदीप से मिलने चली गयी, पीछे से संजू के माता–पिता भी आ गए और संदीप के ऊपर ईट से वार कर उसकी हत्या कर दी और लाश को नजदीक ही गन्ने के खेत में फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. लल्लन प्रसाद पुत्र जगदीश मौर्या नि० सोखाजोत तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. विमला देवी पत्नी लल्लन प्रसाद नि० सोखाजोत तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. संजू मौर्या पुत्री लल्लन प्रसाद नि० सोखाजोत तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु०अ०सं०–241/24, धारा 103(1),328 बीएनएस व 3(2)5 एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद पक्की ईट (आलाकत्ल)
02. मृतक का टूटा मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष कृष्णगोपाल राय थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. उ०नि० धीरेन्द्र सिंह।
03. का० मृदुल सनाड्य।
04. का० अरूण कुमार वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.09.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा, चोरी का माल बरामद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–463/24, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण कर घटना कारित करने वाले चोर–सुमित पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय नि0 मरौचा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को मनकापुर आई0टी0आई0 के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाईकिल व निशानदेही से 06 अदद चोरी के घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.09.2024 को वादी रिजवान पुत्र अब्दुल रूऊफ नि0 मोहल्ला जवाहर नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर से गैस सिलेण्डरों को चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 उमेश सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान सी0सी0टी0वी कैमरों की मदद से प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त सुमित पाण्डेय को आज दिनांक 19.09.2024 को मनकापुर पुलिस द्वारा मनकापुर आई0टी0आई0 के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल व निशानदेही से 06 अदद चोरी के घरेलू गैस सिलेण्डरों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुमित पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय नि0 मरौचा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–463/24, धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2),318(4),319(2),338,336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 06 अदद घरेलू गैस सिलेण्डर।
02. 01 अदद घटना में प्रयुक्त हीरो सीडी एच0एफ0 डिलक्स मोटरसाईकिल। (कूटरचित नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उमेश सिंह।
02. हेड का0 सुरेश गुप्ता।
03. हेड का0 वीरेन्द्र कुमार।
04. हेड का0 राकेश कन्नौजिया।
05. का0 उमेश यादव।
06. का0 रवि सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

अपराध गोष्ठी

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश–

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को महिला पुलिस बीट बनाने, वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा आगामी त्यौहारों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 19.20.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी की गई। जिसका मुख्य विषय कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी कर दिनांक 10.09.2024 से 10 दिवस चलाये गए विवेचना निस्तारण विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा काफी दिनों से लंबित चल रही विवेचनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर इतनी लम्बी अवधि तक विवेचनाओं के लंबित रखने का कारण जानते हुए विवेचनाओं की स्थिति में आ रही परेशानियों के बारे जाना तथा गुण दोष के आधार पर जल्द से जल्द विवेचनाओं के निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा व दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने तथा संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध कर त्यौहारों पर विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ–साथ

संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पीआरवी वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा जनपद में घटित घटनाओं पर उनकी वीडियो ग्राफी, पैनल के साथ पोस्टमार्टम की वीडियोंग्राफी करने हेतु फॉरेंसिक टीम को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर पेडिंग प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि समस्त थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि अपने–अपने थाना क्षेत्र की दो–तीन बीटो को मिलाकर एक महिला पुलिस बीट बनायी जाये। जिसमें कम से कम दो महिला पुलिस कर्मियों की अनिवार्यता नियुक्ति की जाए। महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेना सुनिश्चित करेंगी। महोदय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कि महिला सुरक्षा अभियान की समीक्षा करेंगे तथा एण्टी रोमियों एवं मिशन शक्ति टीम के साथ स्कूलों/कालेजों में जाकर जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही यह भी बताया गया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी थाना/कार्यालय की साफ–सफाई करना सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर सभी कर्मियों की डिलेट को शत–प्रतिशत भरवाने हेतु थाना प्रभारी/शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

वर्ष 2024 में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 90 अभियुक्तों के विरुद्ध 26 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 61 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 83,02,729/– रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 161 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 12 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण' की कार्यवाही की गयी जिससे इन गिरोह की हमेशा निगरानी की जा सके।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।